

भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
विकास आयुक्त का कार्यालय
सीपज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400096



Government of India
Ministry of Commerce & Industry
Office of the Development Commissioner
SEEPZ Special Economic Zone
Andheri (E), Mumbai - 400096

वेबसाइट: www.seepz.gov.in | ई-मेल: dcseepz-mah@nic.in | टेलीफोन: 022-28290856/28294700

फाइल सं.: SEEPZ-SEZ/LAB-13013/2/2022-LAB/

दिनांक: #ApprovedDate#

परिपत्र सं. 41 /2026

विषय: श्रम संहिताओं के प्रावधानों का समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित करने तथा कार्रवाई प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के संबंध में।

जोनल विकास आयुक्त, सीपज़-एसईजेड (SEEPZ-SEZ) के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कार्यरत सभी इकाइयों का ध्यान श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) द्वारा श्रम संहिताओं के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन एवं अनुपालन के संबंध में जारी डी.ओ. पत्र दिनांक 30.07.2026 (प्रति संलग्न) की ओर आकर्षित किया जाता है।

भारत सरकार ने 29 श्रम कानूनों को समेकित करके चार व्यापक श्रम संहिताएं बनाई हैं, जो निम्न प्रकार हैं:

1. वेतन संहिता, 2019 (The Code on Wages, 2019)
2. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (The Code on Social Security, 2020)
3. औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (The Industrial Relations Code, 2020)
4. व्यवसायगत सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020 (The Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020)

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, ऑचलिक विकास आयुक्त, सीपज़-एसईजेड के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कार्यरत सभी इकाइयों को सलाह दी जाती है कि वे श्रम संहिताओं के लागू प्रावधानों का कड़ाई से और समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित करें। इकाइयां यह भी सुनिश्चित करेंगी कि उनके द्वारा लगे ठेकेदार, ठेका श्रम एजेंसियां और आउटसोर्सिंग एजेंसियां लागू वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें।

मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) के कार्यालय द्वारा रेखांकित निम्नलिखित उपायों को प्राथमिकता दी जाएगी:

1. नियुक्ति पत्र जारी करना व्यवसायगत सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020 के लागू प्रावधानों के अनुसार ठेका श्रमिकों सहित प्रत्येक कर्मचारी को नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे।

2. वेतन का समय पर भुगतान वेतन संहिता, 2019 की धारा 17 के अनुसार, किसी भी अनाधिकृत कटौती के बिना निर्धारित वैधानिक समय-सीमा के भीतर वेतन का भुगतान किया जाना चाहिए:

- दैनिक वेतन – पाली (शिफ्ट) के अंत में
- साप्ताहिक वेतन – साप्ताहिक अवकाश से पहले
- पाक्षिक (15-दिवसीय) वेतन – पखवाड़े की समाप्ति के दो दिनों के भीतर
- मासिक वेतन – वेतन अवधि की समाप्ति के सात दिनों के भीतर।

3. वेतन पर्ची (Wage Slips) जारी करना निर्धारित विवरणों को शामिल करते हुए, वेतन भुगतान के दिन या उससे पहले सभी कर्मचारियों को वेतन पर्चियां जारी की जाएंगी।

4. ठेका श्रामिकों के लिए कल्याणकारी सुविधाएँ मुख्य नियोक्ता (Principal Employers) ठेका श्रामिकों को लागू वैधानिक कल्याणकारी सुविधाएँ प्रदान करना सुनिश्चित करेंगे, जिनमें सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता सुविधाएँ, प्राथमिक उपचार व्यवस्था, जहां लागू हो वहां क्रेश (शिक्षुगृह) सुविधाएँ और अन्य निर्धारित सुविधाएँ शामिल हैं।

5. शिकायत निवारण तंत्र इकाइयाँ स्वास्थ्य, कार्य स्थितियों और वेतन से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए लागू नियमों के अनुसार ठेका श्रामिकों के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र का गठन कर सकती हैं। ऐसी शिकायतों की जांच कर उनका त्वरित समाधान, अधिमानतः 30 दिनों के भीतर, किया जाना चाहिए।

इसके अलावा, बीस (20) या अधिक श्रामिकों को नियोजित करने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठान औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 4 के अनुसार एक शिकायत निवारण समिति का गठन करेंगे, जिसमें नियोक्ता और श्रामिकों का समान प्रतिनिधित्व होगा। समिति प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर शिकायतों का निवारण करने का प्रयास करेगी।

6. वार्षिक स्वास्थ्य जांच 40 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके कर्मचारियों को लागू प्रावधानों/नियमों के तहत निर्धारित अनुसार निःशुल्क वार्षिक स्वास्थ्य जांच प्रदान की जाएगी।

7. श्रम सुविधा पोर्टल पर पंजीकरण व्यवसायगत सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020 तथा सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अंतर्गत आने वाले सभी प्रतिष्ठान निर्धारित विवरण प्रस्तुत करके और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करके श्रम सुविधा पोर्टल पर अनिवार्य इलेक्ट्रॉनिक पंजीकरण सुनिश्चित करेंगे।

8. ठेकेदारों/आउटसोर्सिंग एजेंसियों द्वारा अनुपालन सभी इकाइयाँ यह सुनिश्चित करेंगी कि उपर्युक्त आवश्यकताओं, जहां भी लागू हों, का अनुपालन उनके द्वारा लगे ठेकेदारों और आउटसोर्सिंग एजेंसियों द्वारा भी किया जाए। इकाइयाँ अनुपालन के प्रमाण के रूप में उपयुक्त रिकॉर्ड/दस्तावेज बनाए रखेंगी।

9. कार्रवाई की गई रिपोर्ट (Action Taken Report) का प्रस्तुतीकरण सभी इकाइयों को निर्देश दिया जाता है कि वे अपनी मौजूदा प्रथाओं की समीक्षा करें और उपर्युक्त बिंदुओं पर आवश्यक कार्रवाई करें।

इस परिपत्र के जारी होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर विकास आयुक्त कार्यालय, सीपज-एसईजेड को उपर्युक्त प्रत्येक बिंदु के विरुद्ध की गई कार्रवाई/अनुपालन स्थिति दर्शाने वाली कार्रवाई की गई रिपोर्ट (ATR) प्रस्तुत की जाएगी।

इकाइयों को सलाह दी जाती है कि वे इस मामले को प्राथमिकता पर लें और श्रम संहिताओं के लागू प्रावधानों के निरंतर अनुपालन को सुनिश्चित करें। इन आवश्यकताओं को इकाई द्वारा लगे सभी संबंधित ठेकेदारों और आउटसोर्सिंग एजेंसियों के ध्यान में भी लाया जा सकता है।

सभी इकाइयों को निर्देशित किया जाता है कि इस विषय को प्राथमिकता (PRIORITY) प्रदान करते हुए श्रम संहिताओं के लागू प्रावधानों का निरंतर अनुपालन सुनिश्चित करें। साथ ही, उक्त आवश्यकताओं से संबंधित सभी संबंधित ठेकेदारों एवं आउटसोर्सिंग एजेंसियों को भी अवगत कराया जाए।

(डॉ. संदीप भोसले)
उप विकास आयुक्त
सीपज-सेज, मुंबई.

भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
विकास आयुक्त का कार्यालय
सीपज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400096



Government of India
Ministry of Commerce & Industry
Office of the Development Commissioner
SEEPZ Special Economic Zone
Andheri (E), Mumbai - 400096

वेबसाइट: www.seepz.gov.in | ई-मेल: dcseepz-mah@nic.in | टेलीफोन: 022-28290856/28294700

File No. SEEPZ-SEZ/LAB-13013/2/2022-LAB /80286 Date: 29-09-2026

CIRCULAR No. 41/2026

Subject: Ensuring timely compliance with the provisions of Labour Codes and submission of Action Taken Report – reg.

Attention of all Units functioning under the jurisdiction of Zonal Development Commissioner, SEEPZ-SEZ is invited to the D.O. Letter **dated 30.07.2026 (Copy attached)** issued by the Chief Labour Commissioner (Central), Ministry of Labour & Employment, regarding effective implementation and compliance with the provisions of the Labour Codes.

The Government of India has consolidated 29 Labour Laws into four comprehensive Labour Codes, namely:

1. **The Code on Wages, 2019**
2. **The Code on Social Security, 2020**
3. **The Industrial Relations Code, 2020**
4. **The Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020**

In view of the above, all Units functioning under the jurisdiction of Zonal Development Commissioner, SEEPZ-SEZ are advised to ensure **strict and timely compliance** with the applicable provisions of the Labour Codes. **The Units shall also ensure that their contractors, contract labour agencies and outsourcing agencies engaged by them comply with the applicable statutory requirements.**

The following measures, as highlighted by the Office of the Chief Labour Commissioner (Central), shall be accorded priority:

1. Issuance of Appointment Letters

Appointment letters shall be issued to every employee, including contract labour, in accordance with the applicable provisions of the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020.

2. Timely Payment of Wages

In terms of Section 17 of the Code on Wages, 2019, wages must be paid within the prescribed statutory timelines without unauthorized deductions:

- Daily wage – at the end of the shift
- Weekly wage – before the weekly holiday
- Fortnightly wage – within two days of the end of the fortnight
- Monthly wage – within seven days of the end of the wage period.

3. Issuance of Wage Slips

Wage slips shall be issued to all employees on or before payment of wages, incorporating the prescribed particulars.

4. Welfare Facilities for Contract Labour

Principal Employers shall ensure provision of applicable statutory welfare facilities to contract labour, including safe drinking water, sanitation facilities, first-aid arrangements, crèche facilities, wherever applicable, and other prescribed amenities.

5. Grievance Redressal Mechanism

Units may constitute a grievance redressal mechanism for contract labour, in accordance with the applicable rules, for addressing grievances relating to health, working conditions and wages. Such grievances should be examined and resolved expeditiously, preferably within 30 days.

Further, industrial establishments employing twenty (20) or more workers shall constitute a Grievance Redressal Committee in accordance with Section 4 of the Industrial Relations Code, 2020, comprising equal representation from the employer and workers. The Committee shall endeavour to resolve grievances within 30 days of receipt.

6. Annual Health Check-up

Employees who have completed 40 years of age shall be provided free annual health check-ups as prescribed under the applicable provisions/rules.

7. Registration on Shram Suvidha Portal

All establishments covered under the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 and the Code on Social Security, 2020 shall ensure mandatory electronic registration on the **Shram Suvidha Portal**, by furnishing the prescribed details and uploading the requisite documents.

8. Compliance by Contractors/Outsourcing Agencies

All Units shall ensure that the above requirements, wherever applicable, **are also complied with by contractors and outsourcing agencies engaged by them**. The Units shall maintain appropriate records/documents as evidence of compliance.

9. Submission of Action Taken Report

All Units are hereby directed to **review their existing practices and take necessary action on the above-mentioned points.**

An **Action Taken Report (ATR)** indicating the action taken/compliance status against each of the above points shall be submitted to the **Office of the Development Commissioner, SEEPZ-SEZ, within 15 days from the date of issue of this Circular**

The Units are advised to treat the matter as **PRIORITY** and ensure continued compliance with the applicable provisions of the Labour Codes. The requirements may also be brought to the notice of all concerned contractors and outsourcing agencies engaged by the Unit.

Digitally signed by
SANDIP DINKAR BHOSALE
Date: 29-09-2026
10:54:13

(Dr. Sandip Bhosale)
Deputy Development
Commissioner
SEEPZ-SEZ, Mumbai